

प्रेषक,

राजेन्द्र रिंड,  
उप रायिक,  
उत्तरांचल शासन

रोमा में,

रायिक,  
केन्द्रीय गान्धीगिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र - 2,  
सामुदाय केन्द्र, प्रीति विदार,  
नई दिल्ली।

गान्धीगिक शिक्षा अनुगाम देहरादून निवॉक २६ जून, 2004

विषय: श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बीरभद्र कृष्णकेश, देहरादून को री०वी०ए०३०५० नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

गहोदय,

उपर्युक्त विषय पर युझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बीरभद्र कृष्णकेश, देहरादून को री०वी०ए०३०५० नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

- 1— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का रामय-रामय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2— विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक रादरय होगा।
- 3— विद्यालय में कगे रो कगे 10 प्रतिशत रथान अनुरूचित जाति / अनुरूचित जनजाति के बच्चों के लिये रुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4— रास्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की गांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय गान्धीगिक शिक्षा परिषद अथवा वेसिक शिक्षा परिषद से गांयता प्राप्त है तथा विद्यालय की रामबद्धता केन्द्रीय गान्धीगिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा

*MJS 26/6/04*

Principal

Shri Guru Ram Rai Public School  
RISHIKESH

- प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार रो प्राप्त अनुदान रवतः  
5— रामाप्त हो जायेगे।
- संरथा शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय  
राहायता प्राप्त शिक्षण संरथाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य  
वेतनगानों तथा अन्य गत्तों रो कम वेतनगान तथा अन्य भत्ते  
नहीं दिए जायेंगे।
- 6— कर्मचारियों की रोवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें राहायता  
प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों  
के अनुरूप रोवानिवृत्ति के लाग उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा रामय-रामय पर जो भी आदेश निर्गत  
किए जायेंगे संरथा उनका पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा  
जायेगा।
- 9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णांगीदान के विवा कोई  
परिवर्तन/ संशोधन परिकर्त्ता नहीं किया जायेगा।
- 10— विद्यालय द्वारा शिक्षक / कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते  
राज्य सरकार के रामतुल्य दिये जायेंगे।
- 11— कष्टा कष्टा एवं पुरातालालय एक वर्ष के अन्दर निर्धारित गाप के  
तैयार कर लिये जायेंगे।
- 2— उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संरथा के लिए अनिवार्य  
होगा और यदि किसी रामय यह पाया जाता है कि संरथा द्वारा उक्त  
प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी  
भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार  
द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रगाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीय,

(राजेन्द्र रिंह)  
उप रायिव

रूप्या: ३०/१५  
(i) XXIV-2/2004 तददिग्नॉक।

प्रतिलिपि निमालिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित:-

- 1— शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।  
2— अपर शिक्षा निदेशक, यढवाल मण्डल-पौड़ी।

१०८५४०४

प्रियोगपात्र  
प्रियोगपात्र

- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून ।  
✓4- प्रबन्धक, श्री गुरु राम राय पब्लिक रकूल वीरगढ़ त्रिपुरिकोश,  
देहरादून ।  
5- गाड़ फाइल ।

आज्ञा से,

॥

(राजेन्द्र रिंह )

उप सचिव

✓

M.S  
25/6/64

Prinpal  
Sri Guru Ram Rai Public School  
RISHIKESH